संख्या–1142/81-2-2022-800(12)/2018

प्रेषक,

आशीष तिवारी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 30 मई 2022

विषय- एटा में अलीगढ-कानपुर सेक्शन (एन0एच0-91) किमी0 186 से 229 तक 04 लेन चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 65.495 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्ष एवं 858 पौध कुल 5798 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/22374/2016)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/12/2018/एफसी/54 दिनांक 25.03.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कतिपय शर्तो के साथ सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गई थी। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-3133/11-सी-एटा(एन0एच0-91)/22374/2016 दिनांक 06.05.2022 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय अभिलेख सहित उपलब्ध कराया गई है।

2- अतएवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 06.05.2022 द्वारा उपलब्ध करायी गई अनुपालन आख्या की प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

Data D. SO.Nodal.GOI Letter